

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इनके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सभी से विनम्र  
इससे संबंध है, अनुरोध एवं आदेश की जाती है कि वे भारत को बिना किसी  
टोक-टोक के स्वतंत्र रूप से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता  
और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUEST IN THE NAME OF  
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM  
IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY  
WITHOUT LET OR HINDRANCES AND TO AFFORD HIM OR HER,  
EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE  
MAY STAND IN NEED.


भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से  
BY ORDER OF THE PRESIDENT  
OF THE REPUBLIC OF INDIA



**T. MURALIDHARAN**  
Assistant General Officer  
Consulate General of India  
Dubai (U.A.E.)

भारत गणराज्य  
REPUBLIC OF INDIA

पासपोर्ट  
PASSPORT



सत्यमेव जयते



NOTIFICATION / OBSERVATION

तिथि सेवा / MISCELLANEOUS SERVICE

पिता / कानूनी अभिभावक का नाम / Name of Father / Legal Guardian

**UDAY JYOTIPRAKASH DESAI**

माता का नाम / Name of Mother

**KAJALBAHEN UDAY DESAI**

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse

पता / Address

**AT DARWAJI STREET**

**DHORANPARDI KAMREJ**

**SURAT 394 150**

पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No, with Date and Place of Issue

**J1304611**

**18/01/2010**

**DUBAI**

फाईल नं. / File No.

**UAED19822114**

**OLD PPT CLD AND RETURNED**

RECEIVED

RECEIVED

पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिशन/केन्द्र में अपना पंजीकरण करावां ।

चेन्नयनरी

यह पासपोर्ट भारत सरकार को समाधि है । इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए ।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए । यह पासपोर्ट धारक या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए । इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए ।

पासपोर्ट गुप्त भी जाने, बारी भी जाने अथवा नष्ट भी जाने पर इसकी सुरक्षा बल में सबसे निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निकटतम भारतीय मिशन/केन्द्र और स्थानीय पुलिस को सरकार से बारी चाहिए । शिवाय पृथक सूचना केवल ही सुरक्षित पासपोर्ट जारी किया जाएगा ।

#### REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

#### CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.